

लेक व्यू विस्तार योजना में तारामण्डल के निकट

लेक व्यू अपार्टमेन्ट्स योजना

क्रमांक

**SPECIMEN COPY**

प्रतीकित

दिनांक 07/06/2017 से  
दिनांक 06/07/2017 तक





गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा संचालित

क्र०सं०.....

**लेक व्यू अपार्टमेंट** में (बेसमेन्ट+स्टिफ्ट+8) 3 बीएचके / 2 बीएचके फ्लैट के आवंटन हेतु

**आवेदन - पत्र**

आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में).....

आवेदक के पति/पत्नी/ का नाम.....

आवेदक के पिता का नाम.....

पत्राचार का पता.....

(यदि विवाहित हों)

आवेदक  
का  
फोटो

आवेदक के  
पति/पत्नी  
का फोटो

फोन/मोबाइल नम्बर.....

स्थायी पता.....

आवेदक के बैंक का नाम व शाखा.....

आवेदक का बैंक का खाता संख्या.....

व IFSC CODE.....

वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवेदक की कुल सौदों से अग्र (जिसमें आवेदक की पत्नी/पति/अल्प व्यस्क बच्चों की आय शामिल हो)

आवंटन में आरक्षण मांगने का कारण (यदि कोई हो तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

आवेदित भवन की श्रेणी.....

आवेदन पत्र के साथ जमा धनराशि रु०.....

आवेदन पत्र के साथ जमा धनराशि रु०..... (सी.टी.एस. बैंक ड्राफ्ट / सी.टी.एस. बैंकर्स चेक / नकद)

आवेदक द्वारा आनलाइन पेमेण्ट अथवा E-Transfer/BKDS/NEFT के माध्यम से धनराशि जमा की गयी है तो निम्न सूचना उपलब्ध कराया जाये :-

जमाकर्ता बैंक का नाम.....

खाता संख्या.....

स्थान.....

दिनांक.....

बैंक सम्बन्धी दी गयी सूचना अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण होने पर विलम्ब से भुगतान का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा । आवेदक का हस्ताक्षर

प्राप्ति रसीद

क्रम संख्या.....

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित

**लेक व्यू अपार्टमेंट**

में (बेसमेन्ट+स्टिफ्ट+8) 3 बीएचके / 2 बीएचके फ्लैट के आवंटन हेतु

आवेदक का नाम.....

पिता/पति का नाम.....

भवन की श्रेणी.....

औसत क्षेत्रफल वर्ग मीटर.....

जमा धनराशि.....

चालान नम्बर.....

दिनांक.....

## (शपथ पत्र का प्रारूप)

(पंजीकरण धनटीश जमा करने के पश्चात् ही इस प्रारूप पर रु० 10.00 के स्टैम्प पेपर पर नोटरी से फोटो सहित सत्यापित कटकट आवेदन पत्र के साथ दें)

समक्ष, उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

नाम श्री/श्रीमती/कुमारी .....

पिता/पति का नाम .....

तथा व्यवसाय का विवरण .....

आयु .....

पूर्ण पता .....

मैं .....

शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता/करती हूँ।

1. मैंने लेक यू.आप.डि.एन. आवासीय योजना में प्रस्तावित प्लॉट 3 सीएचके/2 सीएचके के आवंटन हेतु आवंटन तथा तत्संबन्धित भूमि प्रोलेक्ट के रूप में अधिग्रहण धनटीश रु० .....

जमा दिनांक .....

के तारतम्य में यह शपथनामा प्रेषित कर रही / रहा हूँ।

2. यह कि मैं बालिग हूँ तथा मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है।

3. मैं प्रार्थना -पत्र केवल अपने लिये ही दे रहा / रही हूँ और इसमें किसी प्रकार की बेनामी अधिकार नहीं है। मैं यह शपथ सहित करता/करती हूँ कि मेरे अथवा मेरे पति / पत्नी व नाबालिग बच्चों में से किसी के नाम पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्तर्गत कोई भी प्लॉट नहीं है, और न ही मैंने / मेरी पत्नी, मेरे पति या नाबालिग बच्चों में से किसी ने प्लॉट के लिए अतिरिक्त प्रार्थना-पत्र भी दिया है।

4. मुझे गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लेक यू.आप.डि.एन. आवासीय योजना में प्लॉट देने की सभी शर्तें व नियम मान्य हैं।

5. मेरे व मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर में एक से अधिक आवासीय प्लॉट नहीं है। और न ही मैं अथवा मेरा परिवार अरबन लैण्ड सीलिंग एक्ट रेगुलेशन एक्ट 1976 में निर्धारित सीमा से अधिक सम्पत्ति रखेंगे।

6. मैं यह स्वीकार करता/करती हूँ कि प्लॉट का रख-रखाव तथा उसे सुन्दर व स्वच्छ शालत में रखने की जिम्मेदारी मेरी होगी, और भवन के सम्पत्ति कर्तों तथा अन्य जो भी कर देय होंगे, उनके देने का उत्तरदायी रहूँगा। जब तक मैं प्लॉट के सम्पत्ति कर्तों तथा अन्य जो भी कर देय होंगे, उनके देने का उत्तरदायी रहूँगा। जब तक मैं प्लॉट के सम्पत्ति कर्तों व कर्तों वन का पूर्ण भुगतान न कर दूँ, मैं उपाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करता रहूँगा / करती रहूँगी।

7. यह कि मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि जब तक प्लॉट की समस्त किश्तों एवं कर्तों का पूर्ण भुगतान कर नियामानुसार विक्रय विलेख न करा दूँ तब तक मुझे प्लॉट बेचने व गिरवी रखने का अधिकार न होगा, और न आवासीय प्लॉट में कोई अन्य निर्माण कार्य अथवा परिवर्तन उपाध्यक्ष की आज्ञा के बिना मैं करूँगा / करूँगी, और न ही भवन के आवासीय उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लाऊँगा / लाऊँगी।

8. यदि गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित प्लॉट का कच्चा निर्धारित समय के अन्तर्गत मांगा गया रूपया न जमा करें अथवा आवासीय प्लॉट की रजिस्ट्री न कराऊ तथा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त अथवा नियम का उल्लंघन करें तो उपाध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह मेरा / हमारे द्वारा जमा समस्त धन को जब्त कर दे, तथा आवासीय भवन का आवंटन रद्द कर दे, एवं उस प्लॉट पर पुनः कब्जा कर लें।

9. ऊपर मैंने / हमने जो कुछ कहा यह सब मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य है, और उपरोक्त शपथ पत्र में कुछ भी छिपाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यदि मेरे द्वारा की गयी उपरोक्त बयानी कुछ भी गलत अथवा असत्य हो अथवा मैंने कोई ग़रबपूर्ण प्रामाणिक बात बियाई हो तो अन्य अधिकारों के अतिरिक्त उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण को पूरा-पूरा अधिकार होगा कि पंजीकरण / आवंटन / रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट रद्द कर दें, पुनः कब्जा वापस कर लें, और इस सम्बन्ध में मेरे / हमारे द्वारा जमा धन को जब्त कर दें, और मेरे / हमारे विरुद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझे करें, उसमें मुझे / हमें कोई आपत्ति न होगी।

स्थान .....

दिनांक .....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

## योजना की विशिष्टियाँ

- 1) भूकम्प रोधी संरचना ।
- 2) आरसीसी फ्रेमड स्ट्रक्चर ।
- 3) उच्च गुणवत्ता का निर्माण ।
- 4) आईएसआई मार्क फलश डोर ।
- 5) विट्रीफाइड फ्लोर टाइल्स ।
- 6) विद्युत, सेनेट्री, वाटर सप्लाय सामग्री आईएसआई मार्क ।
- 7) आर्टिकल फाइबर कोबिल हेतु डकट का प्रावधान ।
- 8) पाइप नैचुरल गैस हेतु डकट का प्राविधान ।
- 9) हाई स्पीड लिफ्ट ।

## भवन की विशिष्टियाँ

- 1) लम्बी किशतों में फाइनेन्स की सुविधा ।
- 2) 24 मीटर चौड़ी तारामण्डल रोड पर स्थित ।
- 3) योजना के 3 तरफ सड़कें ।
- 4) योजना के पास में वाटर बाडी ।
- 5) अम्बेडकर पार्क के निकट ।
- 6) प्रत्येक फ्लैट हेतु निःशुल्क कवर्ड पार्किंग की व्यवस्था ।

